

“स्तनपान कर रही माताओं के अधिकारों का विधेयक”



आप अपने बच्चे को कैसे खिलाएंगी, इसका फैसला अपने शिशु के आगमन की तैयारी करते समय सबसे महत्वपूर्ण निर्णयों में से एक है। डॉक्टरों का मानना है कि ज़्यादातर महिलाओं के लिए स्तनपान सबसे सुरक्षित और सबसे स्वस्थ विकल्प है। यह आपका अधिकार है कि स्तनपान के लाभों के बारे में आपको सूचित किया जाए और आपके स्वास्थ्य देखभाल प्रदाता और मातृ स्वास्थ्य देखभाल सुविधा केन्द्र द्वारा स्तनपान को प्रोत्साहित और समर्थित किया जाए। स्तनपान के विषय में स्वयं निर्णय लेना आपका अधिकार है। चाहे आप स्तनपान करने या न करने का चयन करें, आपके पास निम्नलिखित बुनियादी अधिकार उपलब्ध हैं, चाहे आपकी जाति, धर्म, राष्ट्रीय मूल, यौन अभिविन्यास, लिंग पहचान या अभिव्यक्ति, या स्वास्थ्य देखभाल के लिए भुगतान का स्रोत कोई भी हो। मातृ स्वास्थ्य देखभाल सुविधा केन्द्रों की ज़िम्मेदारी है कि वह सुनिश्चित करें कि आप इन अधिकारों को समझती हैं। यह ज़रूरी है कि वे स्पष्ट रूप से इस जानकारी को आप तक पहुँचाएं और यदि आवश्यक हो तो उन्हें एक दुभाषिये की मदद लेनी चाहिए। इन अधिकारों को केवल उन्हीं मामलों में सीमित किया जा सकता है, जहां आपके या आपके बच्चे के स्वास्थ्य के लिए यह आवश्यक हो। यदि निम्नलिखित बातों में से कोई भी चिकित्सकीय रूप से आपके या आपके बच्चे के लिए सही नहीं है, तो आपको पूरी तरह से तथ्यों के बारे में सूचित किया जाना चाहिए और आपसे परामर्श किया जाना चाहिए।

(1) बच्चे को जन्म देने से पूर्व:

सार्वजनिक स्वास्थ्य कानून के अनुच्छेद 28 के अनुसार मातृ स्वास्थ्य देखभाल सुविधा केन्द्र एवं प्रसव-पूर्व सेवाएं प्रदान करने वाले सभी अस्पताल क्लीनिकों एवं निदान और उपचार केन्द्रों द्वारा प्रदान की जाने वाली प्रसव-पूर्व शिक्षा कक्षाओं में यदि आप भाग लेती हैं, तो आपको स्तनपान कर रही माताओं के अधिकारों के विधेयक की एक प्रति प्राप्त होनी चाहिए। इस अध्याय की धारा अट्ठाइस सौ तीन-प्रथम के अनुसार, प्रत्येक मातृ स्वास्थ्य देखभाल सुविधा केन्द्र सभी रोगियों या उनके द्वारा नियुक्त निजी प्रतिनिधि को किसी भी मातृ स्वास्थ्य देखभाल सुविधा केन्द्र में पूर्व-बुकिंग या प्रवेश के समय स्तनपान कर रही माताओं के अधिकारों के विधेयक सहित मातृत्व जानकारी पत्रक प्रदान करेगा। प्रत्येक मातृ देखभाल प्रदाता सभी रोगियों को चिकित्सकीय रूप से उचित समय पर या उससे पूर्व स्तनपान कर रही माताओं के अधिकारों के विधेयक की एक प्रति देगा।

आपको अपने और अपने बच्चे के लिए स्तनपान के लाभ के बारे में जानकारी प्राप्त करने का पूरा अधिकार है। इससे, आपको अपने शिशु को कैसे खिलाना चाहिए, इसके विषय में एक सूचित चयन करने में मदद मिलेगी।

आपको ऐसी जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है जो व्यावसायिक हितों से मुक्त हों और इनमें निम्नलिखित शामिल हों:

- कैसे स्तनपान आपके और आपके शिशु के लिए पोषण, चिकित्सा और भावनात्मक रूप से लाभप्रद है;
- स्तनपान के लिए स्वयं को कैसे तैयार करें;
- कैसे कुछ ऐसी समस्याओं को समझें जिनका आप सामना कर सकती हैं और उनका हल कैसे किया जा सकता है।

(2) मातृ स्वास्थ्य देखभाल सुविधा केन्द्र में:

- चाहे आप अपने शिशु को सामान्य रूप से या सीज़ेरियन द्वारा जन्म दें, जन्म के तुरंत बाद आपको अपने बच्चे को अपने पास रखने का अधिकार है। जन्म के एक घंटे के भीतर स्तनपान शुरू करने का आपको अधिकार है।
- आपको अधिकार है कि स्तनपान में प्रशिक्षित कोई व्यक्ति आपको जानकारी दे और जब ज़रूरत हो आपकी सहायता करे।





- आपका अधिकार है कि आपके शिशु को न तो बोतल से दूध पिलाया जाए और न ही उसे चुसनी दी जाए।
 - आपको अधिकार है कि दूध सूखा देने वाली किसी भी दवाई के बारे में आपको जानकारी दी जाए और आप इसे लेने से इनकार कर सकें।
 - आपको अधिकार है कि आप अपने शिशु को दिन में 24 घंटे अपने कमरे में अपने पास रखें।
 - आपको अधिकार है कि आप अपने शिशु को दिन या रात में किसी भी समय स्तनपान कराएं।
 - अगर आपके डॉक्टर या आपके शिशु के बाल-चिकित्सक स्तनपान न करने की सलाह दे रहे हैं, तो शिशु को खिलाने के विषय में कोई भी निर्णय लेने से पहले आपका अधिकार है कि आपको बताया जाए।
 - आपको अधिकार है कि आपके शिशु के पालने में ऐसा साइन लगाया जाए जिसपर लिखा हो कि आपका शिशु स्तनपान कर रहा है और किसी भी प्रकार से उसे बोतल से दूध नहीं पिलाया जाना चाहिए।
 - आप स्तनपान ठीक कर रही हैं या नहीं इसके बारे में जानकारी प्राप्त करने का और आप इसे कैसे बेहतर कर सकती हैं इसके लिए मदद प्राप्त करने का आपको अधिकार है।
- नवजात गहन चिकित्सा इकाई में आपको अपने बच्चे को स्तनपान कराने का अधिकार है। यदि स्तनपान संभव नहीं है, तो हर प्रयास किया जाना चाहिए कि शिशु को आपका पम्प किया गया या निकाला गया दूध दिया जाए।
 - यदि आपको या आपके बच्चे को प्रारंभिक प्रसव भर्ती के बाद दोबारा किसी मातृ देखभाल सुविधा केन्द्र में भर्ती होना पड़े, तो अस्पताल हर संभव कोशिश करेगा कि वह स्तनपान को समर्थित करता रहे, अस्पताल-ग्रेड का इलेक्ट्रिक पंप और केन्द्र में अलग स्थान प्रदान करे।
 - यदि आपके शिशु की विशेष आवश्यकताएं हैं, तो आपको अधिकार है कि स्तनपान में विशेष रूप से प्रशिक्षित किसी व्यक्ति द्वारा आपको स्तन दूध निकालने में सहायता दी जाए।
 - आपको अधिकार है कि आपके अनुरोध पर किसी स्टाफ सदस्य द्वारा आपके परिवार या मित्र को स्तनपान जानकारी प्रदान की जाए।

(3) जब आप मातृ स्वास्थ्य देखभाल सुविधा केन्द्र से जाती हैं:

- किसी भी व्यावसायिक सामग्री से मुक्त स्तनपान पर प्रिंटेड जानकारी प्राप्त करने का आपको अधिकार है।
- जबतक आपके स्वास्थ्य देखभाल प्रदाता द्वारा निर्देश न दिया गया हो, और आपके द्वारा विशेष रूप से अनुरोध न किया गया हो, और सुविधा केन्द्र में उपलब्ध हो, आपको अधिकार है कि बिना किसी शिशु फॉर्मूले या फॉर्मूले कूपन वाले डिसचार्ज पैक के अस्पताल से आपको छुट्टी दी जाए।
- स्तनपान सलाहकारों, सहायता समूहों और स्तन पंपों की उपलब्धता के बारे में जानकारी सहित आपको अपने समुदाय में स्तनपान संसाधनों के बारे में जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है।
- सुविधा केन्द्र द्वारा अपने बच्चे के लिए एक चिकित्सा प्रदाता का चयन करने में और अनुवर्ती मुलाकातों के महत्व को समझने के विषय में जानकारी पर आपका अधिकार है।
- स्तन दूध को कैसे सुरक्षित रूप से एकत्रित और स्टोर किया जाए, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करना आपका अधिकार है।
- आपको अपने शिशु को किसी भी स्थान, सार्वजनिक या निजी, चाहे आप अधिकृत हों या नहीं, स्तनपान करवाने का अधिकार है। आप अपनी कोई भी शिकायत New York State Division of Human Rights को भेज सकती हैं।

उपर्युक्त सभी आपके अधिकार हैं। यदि मातृ देखभाल सुविधा केन्द्र इन अधिकारों का सम्मान नहीं करता है, तो आप New York State Department of Health से संपर्क करके या अस्पताल की शिकायत हॉटलाइन 1-800-804-5447 पर या ईमेल द्वारा hospinfo@health.state.ny.us संपर्क करके मदद प्राप्त कर सकती हैं।